शा0/02/05

(3)

संख्या–3082 / 33–3–2005–100(77) / 2005

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक 15 दिसम्बर 2005

विषय:– बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त अनुदान के उपभोग हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि वर्ष 2005–06 से वर्ष 2009–2010 तक के लिए प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष रू0 585.60 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया जाना है। भारत सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की धनराशि के आवंटन एवं उपभोग के सम्बन्ध में निर्गत गाइड लाईन्स दिनांक 15.6.2005 के अनुसार अनुदान की धनराशि का उपभोग पंचायतों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं के रख–रखाव एवं उन्नयन पर किया जाना है। परन्तु यदि किसी स्तर की त्रिस्तरीय पंचायत के नियन्त्रणाधीन पेयजल एंव स्वच्छता परिसम्पत्तियां नहीं हैं तो धनराशि का उपभोग अन्य नागरिक सुविधाओं के अनुरक्षण हेतु किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स को दृष्टिगत रखते हुए 12वें वित्त आयोग की धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत किए जाते है :–

1. पेयजल योजनाओं का संचालन एंव रख–रखाव

1. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पेयजल आपूर्ति से सम्बन्धित सर्विस डिलिवरी को सुदृढ करने हेतु अनुदान की धनराशि का उपभोग किया जाएगा। उक्त हेतु स्वजल धारा/सेक्टर रिफार्म/स्वजल कार्यक्रमों के अन्तर्गत या जल निगम द्वारा स्थापित पेयजल आपूर्ति से सम्बन्धित परिसम्पत्तियां जो पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की गई हैं, उनके संचालन एंव रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित पंचायत का होगा।

2. सम्प्रति स्वजल धारा/सेक्टर रिफार्म स्वजल परियोजना एंव जल निगम द्वारा स्थापित पेयजल परिसम्पत्तियां जो ग्राम पचायतो के नियंत्रणाधीन है, उनके संचालन एवं रख–रखाव हेतु ग्राम पंचायतें उत्तरदायी है। भविष्य में यदि कोई बहुग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजनाएं क्षेत्र पंचायतों या जिला पंचायतों को हस्तांतरित की जाती है तो उनके संचालन एवं रख–रखाव के लिए सम्बन्धित स्तर की पंचायत उत्तरदायी होगी। वर्तमान समय में क्षेत्र पंचायत एंव जिला पंचायत के नियन्त्रणाधीन कोई पेयजल योजना संचालित नही है।
3. प्रत्येक ग्राम पंचायत को पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव हेतु कुशल बनाने के लिए ग्राम पंचायत के साथ–साथ उसकी जल–प्रबन्धन समिति के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा इस हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु मात्रकृत एक प्रतिशत धनराशि का ही उपभोग किया जाएगा।
4. पेयजल योजनाओं/परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु ग्राम पंचायत द्वारा जल प्रबंधन समिति (विशेष आमंत्री सहित) के सहयोग से निम्नलिखित गतिवधियां संचालित की जाएगी :–

    क. पेयजल सम्पत्तियों के संचालन एवं रख–रखाव की व्यवस्था करना तथा उसकी मासिक समीक्षा।
    ख. परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु जल शुल्क की वसूली करना तथा वसूल की गयी धनराशि को गांव निधि खाता–I में जमा करना।
    ग. उपभोक्ताओं की पंजिका तैयार करना, शुल्क का निर्धारण एंव वसूली करना तथा प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा रखना।
    घ. शिकायत पंजिका रखना।
    च. ग्राम सभा के समक्ष वार्षिक व्यय विवरण रखना तथा उपभोक्ता शुल्क की वसूली की स्थिति रखना।
    छ. पेयजल परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु टूल किट एवं स्पेयर पार्टस की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
    ज. पेयजल परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु बजट बनाना तथा ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना।
    झ. पंचायत स्तर पर पेयजल योजनाओं के संचालन एंव रखरखाव से सम्बन्धित आय एवं व्यय को लेखा अभिलेखों में दर्ज करना।

5. ऐसी ग्राम पंचायतें, जहॉ पाइपवाटर पेयजल योजना है, यदि आवश्यक समझें तो पाइपवाटर पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव हेतु पंचायत को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए एक ग्राम रख–रखाव कार्यकर्ता (village maintenance worker) को

मानदेय पर रख सकेगी। इस हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी तथा उसे अधिकतम प्रतिमाह रू0 1500 मानदेय दिया जा सकेगा जिसका वहन ग्राम पंचायत द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल किये गये शुल्क से किया जाएगा। सम्बन्धित ग्राम रख–रखाव कार्यकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :–

क. वर्ष में एकबार समस्त परिसम्पत्तियों का सुरक्षात्मक रख–रखाव (Preventive Maintenance) करना।

ख. प्रत्येक तीन माह में पेयजल की गुणवत्ता का H_2S से परीक्षण करना।

ग. क्लोरीनेशन करना।

घ. भारी टूट–फूट को ग्राम पंचायत के माध्यम से तत्काल ठीक कराना।

उक्त ग्राम रख–रखाव कार्यकर्ता को जनपद स्तर पर स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जाएगा।

6. ग्राम पंचायतें अपने नियन्त्रणाधीन पेयजल योजनाओं/परिसम्पत्तियों का संचालन एवं रख–रखाव करेंगी तथा इस हेतु उन्हें रिकरिंग कास्ट का 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं से शुल्क के रूप में वसूल करना अनिवार्य होगा। सं0 प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–37 (ज) में जल शुल्क के आरोपण की व्यवस्था है। ग्राम पंचायत का यह दायित्व होगा कि उक्त धारा–37 (ज) के साथ पठित नियम संख्या–220, 224, 225, 226, 227 एवं 228 के अनुसार जल शुल्क (उपभोक्ता शुल्क) की वसूली करें तथा ग्राम निधि I में जमा करें। जल शुल्क के आरोपण एवं वसूली में अधिनियम एवं नियमावली में प्राविधानित प्रकिया का पालन किया जाएगा। जल शुल्क की वसूली समस्त पेयजल परिसम्पत्तियों यथा पाइपवाटर योजनाएं एवं हैण्डपम्पों के संचालन एवं रख–रखाव हेतु की जाएगी। जो ग्राम पंचायतें रिकरिंग कास्ट का 50 प्रतिशत जल शुल्क के रूप में वसूल करने में असफल होगी उनकी अनुदान की धनराशि की अगली किश्त तब तक के लिए रोक दी जाएगी जब तक कि उनके द्वारा वसूली न कर ली जाए।

(2) <u>स्वच्छता सम्बन्धी कार्य</u>

1. सं0 प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा–15(23)(क) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति हेतु उत्तरदायी हैं तथा यह कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। अतः उक्त धारा की परिधि में आने वाले स्वच्छता कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पादित किए जाएगें।

2. बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार पंचायतों को वातावरणीय स्वच्छता को बनाए रखने हेतु अनुदान दिया जाना है। अनुदान की धनराशि को ग्राम पंचायतें स्वच्छता से सम्बन्धित सार्वजनिक/सामुदायिक कार्यों पर ही व्यय कर सकेंगी। चूँकि शौचालयों के निर्माण हेतु धनराशि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही है, अतः बारहवें वित्त आयोग की धनराशि को शौचालयों के निर्माण हेतु व्यय नहीं किया जाएगा।
3. अनुदान की धनराशि को ग्राम पंचायतें वातावरणीय स्वच्छता से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यों हेतु व्यय कर सकेंगी :–

क. बेकार पानी की निकासी हेतु नाली की व्यवस्था जिसमें भूमिगत नाली को प्राथमिकता दी जाएगी।
ख. कूड़ा करकट के उचित निस्तारण हेतु सार्वजनिक कम्पोस्ट गढ्ढों की व्यवस्था।
ग. सार्वजनिक हैण्डपम्पों के पास स्वच्छता हेतु कपड़ा धोने के चबूतरे हैण्डपम्प के प्लेट फार्म को टूट फूट से बचाने के लिए ब्रिक लाइनिंग, जानवरों के पानी पीने हेतु हैण्डपम्पों के पास नादों की व्यवस्था एवं सोख्ता गढ्ढों की व्यवस्था।
घ. सामुदायिक शौचालयों मरम्मत/पुनर्निर्माण, की साफ सफाई, रख–रखाव एवं शौचालयों में पानी भण्डारण/आपूर्ति की व्यवस्था।
च. स्कूल शौचालय की मरम्मत/पुनर्निर्माण, साफ सफाई, रख–रखाव एवं पानी भण्डारण/आपूर्ति की व्यवस्था।
छ. ग्राम पचायत क्षेत्र में नालियों की सफाई एवं रख–रखाव।
ज. पेयजल कूपों का रख–रखाव, मरम्मत एवं उन्हें ढककर रखने की व्यवस्था।
झ. अन्य स्वच्छता सम्बन्धी सार्वजनिक/सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख–रखाव।

(3) डाटाबेस सृजन तथा लेखों का रख–रखाव

भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के प्रस्तर–3.8(XV) के अनुरूप पंचायतों के डाटाबेस एवं ग्राम पंचायतों के लेखों के रख–रखाव हेतु धनराशि मात्राकृत की जाएगी। इस हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर पृथक से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(4) धनराशि का आवंटन

जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एंव ग्राम पंचायतों को धनराशि का आवंटन द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत फार्मूले के आधार पर किया जाएगा। फार्मूले के अनुसार 70 प्रतिशत धनराशि ग्राम पंचायतों को, 20 प्रतिशत जिला पंचायतों को तथा 10 प्रतिशत क्षेत्र पंचायतों को आवंटित की जानी है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त मार्ग दर्शक सिद्धांतों/निर्देशों के अनुसार बारहवें वित्त आयोग की धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।

संख्या –3082(1)/33–3–2005 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. समस्त अध्यक्ष जिला पंचायतें, उ0प्र0।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. महालेखाकार, उ0प्र0 लेखा एंव हकदारी (प्रथम), पंचायती राज, इलाहाबाद।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, पंचायतें एंव सहकारी समितियां, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10. निदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11–निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) उ0प्र0 लखनऊ।
12. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
14. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
15. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
16. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
17. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
18. वित्त संसाधन (व्यय आयोग) अनुभाग/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2

आज्ञा से,

(श्री म रतन पाण्डेय)
अनु सचिव

संख्या– 806/33–3–2006–100(28)/2006

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनॉक: 24 अप्रैल, 2006

विषयः– बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को प्रदत्त अनुदान के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3082/33–3–2005–100(77)/2005 टीसी, दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को प्रदत्त अनुदान की धनराशि का उपभोग यद्यपि प्राथमिकता के आधार पर पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव एवं उन्नयन पर किया जायेगा, तथापि यदि किसी स्तर की पंचायत के नियंत्रणाधीन पेयजल एवं स्वच्छता परिसम्पित्तियॉ नहीं है, अथवा पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव व उन्नयन का कार्यपूर्ण होने के पश्चात भी यदि पंचायत के पास बारहवें वित्त आयोग की अनुदान की धनराशि अवशेष रहती है तो अनुदान की धनराशि का उपभोग ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य नागरिक सेवाओं को बनाये रखने (Maintenance of civic services), जिसमें सम्पर्क मार्ग, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, मार्ग प्रकाश, जलनिकासीएवं स्वच्छता की व्यवस्था, सामुदायिक सम्पत्ति यथा शवदाह गृह एवं कब्रिस्तान का रखरखाव आदि, भी सम्मिलित है के लिए भी किया जा सकेगा।

2– शासनादेश संख्या–3082/33–3–2005–100(77)/2005 टी0सी0 दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।

.....2/....